

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालावाड राज0
काद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपटित धारा 138 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,


निवेदन है कि ग्राम 2/रायपुर जमाबंदी नं. 2081 के खाला में दर्ज खालेदारान ने BRKGB शाखा रायपुर से कृषि भ्राम लिया था जिसका जमाबंदी में इन्द्राज है। वर्तमान में भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 से BRKGB का नाम परिवर्तित होकर RGB हो गया है। अतः अन्तर्गत धारा 138 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाये।

खाला नं	वर्तमान खालेने अनुसार खाले की सक्षित प्रविष्टि	वर्तमान इन्द्राज / कुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	4	5
470	29 कमणसिद्धि पत्नि स्व. मनोज कुमार	BRKGB शाखा रायपुर	RGB शाखा रायपुर

शाखा प्रबंधक
BRKGB शाखा रायपुर


रिपोर्ट पटवारी

महोदय, वादी/प्राथी के वादपत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 अनुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज कुटीपूर्ण इन्द्राज BRKGB शाखा रायपुर के स्थान पर RGB शाखा रायपुर शुद्ध करने योग्य है।


हस्ताक्षर पटवारी
पं० नं० 212142

रिपोर्ट मूअमिलेख निरीक्षक

महोदय, पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किमें जाने योग्य है।



मूअमिलेख निरीक्षक
मूअमिलेख नं० 212142
दिनांक: 08/04/26

रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2026/ LP/854

दिनांक: 08-4-26

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं मूअमिलेख निरीक्षक अनुसार वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुटीपूर्ण इन्द्राज इन्द्राज BRKGB शाखा रायपुर के स्थान पर RGB शाखा रायपुर शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


तहसीलदार
08-04-26

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2026/ 107

दिनांक: 10/04/26

भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के आधार पर वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुटीपूर्ण इन्द्राज BRKGB शाखा रायपुर के स्थान पर RGB शाखा रायपुर दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में BRKGB शाखा रायपुर के स्थान पर RGB शाखा रायपुर इन्द्राज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड
पिडावा, दिनांक 10/04/26

